केन्द्रीय विद्यत विनियामक आयोग

तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001, फोन 23353503, फैक्स 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं.: 287/एमपी/2018 दिनांक: 11.2.2021

सूचना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 (द पीएमआर) के विनियम 16 की धारा (vi) के तहत नोटिस

1. पावर एक्सचेंज के स्थापना और प्रचालन के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राणुर्जा सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 25वीं मंजिल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001 में स्थित है।

2. प्राणुर्जा सॉल्यूशंस लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट **https://www.pranurja.com** में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक पावर एक्सचेंज के स्थापना और प्रचालन के पंजीकरण प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक **11.2.2021** के आदेश द्वारा आयोग ने पावर एक्सचेंज के स्थापन्न और प्रचालन के लिए आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

4. नोटिस आयोग द्वारा उक्त पावर एक्सचेंज की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पर सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को आमंत्रित करने के लिए पीएमआर के विनियम 16 की धारा (vi) के अनुसरण में दिया गया है, जो उक्त पते पर **26.2.2021** तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त किया जाना है। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग यथा समय पर अंतिम निप्रटान के लिए आवेदन को निर्धारित करेगा और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(मनोज कुमार झा)
सचिव